

8/13

नम्बर व
हकाम
कम का
में जा
तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
किशन लाल 4/5 वालचन्द

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

46172

राजस्थ लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"
केम्प स्थल... मोड़क
दिनांक... 31/1/17

किशन लाल

व न्यून सुभन
5/10 वालचन्द

पञ्चावती पेसा पसकार उपस्थित ही उपरो
पसकारों को सुना गया प्रकाश को
भली भाँति अवगत न किया गया
प्रकाश में प्रतिकादी नं० 1, 3, 4, 5 द्वारा रि
10-9-2013 को प्रत्येक पेसा का स्पष्ट
रूप से अंकित किया गया था कि
ख. नं० 1331/1792, को प्रतिका नं० 5 को बँचान
किया जा चुका है रि. 16/13
को ख. नं० 1319/1785, 1320/1787, व
1329/1790 फिला 3 एका 0.40 हेक्टर
के हिस्सा 1/2 को भीनासी और 1/10
रामचण धाकड़ को बँचान कर रजिस्ट्री
कला दी गई है तथा अभिलिखित
खातेदार रामनाथी की मूल्य ही चुकी
है, उसके विधिक वारिस को भी
पसकार नहीं बनाया गया है

Rt सीतल

Rt केरीका

रि० 10-9-13 से आज रिगोक
तक लाली लम्बा भाला गुजमे
के बाद भी वादी द्वारा वारगल श्रमि
से हिलाबहु पसों को जानबूझकर
पसकार नहीं बनाया है, और न
ही, पसकार नहीं बनाने का कोश

किशन लाल
रामचण

10/1
10/1
10/1
10/1

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी मुकाम..... रामगंजमण्डी, जिला कोटा

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जात
	<p>दोसु कारण ही लिखित में अवगत कराया है, जो वादी के अपने वादपत्र के प्रति अक्रिय हो सकता है।</p> <p>युक्तान Non-Jainder of Parties के दोष से प्रसिद्ध है।</p> <p>अतः दावा वादी इली लार पर खारिज किया जाता है।</p> <p>फलावती फैसल सुमाए होकर बाद लागू लकमील व लकमीम दाखिल रहता है।</p> <p>निर्णय आज दि 31/6/17 को मेरे हाथ लिखाया जाकर राजस्थान लोक अदालत के मय मंडक पर सुनाया गया।</p>	

चिन्मयी गोपाल
J.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी